पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0 –3–25/2012–01(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 04.05.2012, अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0 –3–25/2012–76(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 22.01.2013 तथा अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0 –3–25/12–84(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 19.02.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष–101–अनुग्रहिक राहत–उप शीर्ष–0003–**संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान** विपत्र कोड संख्या एन० 2245021010003 के मद् में क्रमशः 3.00 (तीन) लाख एवं 7.50 (सात लाख पचास हजार) रुपये एवं 2.09 लाख (दो लाख नौ हजार) रुपये कुल 12.59 लाख (बारह लाख उनसठ हजार) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 531/आ०प्र० दिनांक 05.06.12, ज्ञापांक 127/आ०प्र० दिनांक 08.02.13, ज्ञापांक 186/आ०प्र० दिनांक 23.02.13 तथा ज्ञापांक 280/आ०प्र० दिनांक 14.03.13 द्वारा कुल 12.59 लाख (बारह लाख उनसठ हजार) रुपये अंचल अधिकारी, पटना सदर/बिहटा/धनरूआ/बख्तियारपुर को उपावंटित किये गये हैं।

पुनः प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 100(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 25.03.13 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष–101–अनुग्रहिक राहत–उप शीर्ष–0003–**संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान** विपत्र कोड संख्या एन० 2245021010003 के मद् में 1.50 (एक लाख पचास हजार) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या–39, यूनिट कोड–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा।

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि (लाख रू० में)	वर्त्तमान उपावंटित राशि (लाख रू० में)	योग (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
01.	अंचल अधिकारी, पटना सदर।	**7.09**	**0.00**	**7.09**
02.	अंचल अधिकारी, बिहटा।	**2.00**	**0.00**	**2.00**
03.	अंचल अधिकारी, धनरूआ।	**1.50**	**0.00**	**1.50**
04.	अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर	**2.00**	**0.00**	**2.00**
05.	अंचल अधिकारी, मनेर	**0.00**	**1.50**	**1.50**
	कुल उपावंटित राशि :–	**12.59**	**1.50**	**14.09**
	जिला में आवंटन के रूप में सुरक्षित राशि			**0.00**
	कुल योग :–			**14.09**

1. यह उपावंटन चालू वित्तीय वर्ष चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष–101–अनुग्रहिक राहत–उप शीर्ष–0003–**संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान** विपत्र कोड संख्या एन० 2245021010003 के मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. उपावंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 में अग्निकाण्ड से मृत व्यक्तियों के संतप्त परिवार को अनुग्रह अनुदान भुगतान मद् में किया जायेगा जिसकी स्वीकृति अंचल कार्यालय, मनेर के अनुग्रह अनुदान अभिलेख संख्या 01/2012–13 में प्रदत्त की गई है। अंचल अधिकारी, मनेर भलिभाँति जाँच एवं सम्यक सत्यापनोपरान्त स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त अग्निकाण्ड से मृत व्यक्तियों के संतप्त परिवार को अनुग्रह अनुदान के रूप में देय राशि का भुगतान करेंगे तथा इसकी सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को देंगे।

3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से हीं की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।

4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 30.03.2013 को निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-10/2012-13 334 /आ०प्र०, दिनांक 29.03.2013

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, मनेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना/आई०टी० मैनेजर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/13

जिला पदाधिकारी,
पटना।